

हाउसकीपिंग (साफ-सफाई),
विद्युत एवं प्लम्बिंग कार्य से संबंधित मेन्टेनेन्स एवं सिक्युरिटी गार्ड हेतु
निविदा/भावपत्र आमंत्रण

निविदा सूचना क्रमांक-...28 A...

रायपुर दिनांक-...05/04/2019...

// निविदा प्रपत्र //

निविदा प्रपत्र का शुल्क	रुपये 500 / -
अमानत राशि	रुपये 50,000 / -
निविदा प्रपत्र जारी करने की तिथि	दिनांक 09.01.2019
निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	दिनांक 11.02.2019 समय 3.00 बजे अपरान्ह तक
निविदा खोलने की तिथि	दिनांक 13.02.2019 समय 12.15 बजे अपरान्ह

राज्य सूचना आयोग,
नॉर्थ ब्लॉक, सेक्टर 19
अटल नगर, जिला-रायपुर, 492002 (छ0ग0)
फोन नं. 0771-2512107, 0771-2512106
फैक्स 0771-2512102 वेब साईट- www.siccg-gov-in
ई-मेल:- sic.cg@nic.in

छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग कार्यालय की हाउसकीपिंग (साफ-सफाई),

विद्युत एवं प्लम्बिंग कार्य से संबंधित मेन्टेनेन्स एवं सिक्युरिटी हेतु

निविदा प्रपत्र (टेक्निकल बिड)

1. निविदाकार फर्म का नाम :-
2. पिता का नाम :-
3. पेन नंबर (पेन की प्रति संलग्न करें।)
4. सर्विस टैक्स नंबर (जी.एस.टी. पंजीयन की प्रति संलग्न करें।)
5. फर्म का ई.पी.एफ.कोड नंबर (प्रति संलग्न करें।)
6. फर्म का ई.एस.आई.सी. नंबर (प्रति संलग्न करें।)
7. कार्यालय पता :-
:-
:-
:-
:-
- दूरभाष एवं मोबाईल नं.
8. निवास का पता :-
9. धरोहर राशि जमा करने का विवरण :- छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के नाम से देय क्रमांक.....दिनांक.....
(राशि रु. 50,000/- पचास हजार रुपये मात्र का)
- बैंक का नाम/शाखा :-
10. निविदा प्रपत्र राशि रु. 500/- जमा करने की पावती क्र.....दिनांक.....
अथवा छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के नाम से देय डिमाण्ड ड्राफ्ट क्र.....दिनांक.....
(राशि रु.500/-पांच सौ रुपये मात्र।)
11. अनुभव संबंधी विवरणी (नियोक्ता से जारी अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें।) :-

(निविदाकार के हस्ताक्षर)

सील मुद्रा

**छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग कार्यालय की हाउसकीपिंग (साफ-सफाई),
विद्युत एवं प्लम्बिंग कार्य से संबंधित मेन्टेनेन्स एवं सिक्युरिटी गार्ड हेतु
निविदा प्रपत्र (फाईनेन्शियल बिड)**

निविदा भावपत्र दर (मासिक) :-

(निम्न तीनों बिन्दुओं की लागत विवरण पृथक से मदवार, दरवार विवरण फाईनेन्शियल बिड के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।)

क्र.	मद	विवरण	राशि
1	सफाई सामग्री पर व्यय (मासिक)		
2	सफाई कर्मचारी, इलेक्ट्रीशियन एवं प्लंबर पर व्यय (मासिक)	सफाई कर्मचारी, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर को शासन के नियमानुसार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, लेबर एक्ट, ई.पी.एफ. ई.एस.आई.सी. दुर्घटना बीमा आदि समस्त व्यय के साथ एकमुश्त राशि—	
3	सिक्युरिटी गार्ड (मासिक)	सिक्युरिटी गार्ड को शासन के नियमानुसार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, लेबर एक्ट, ई.पी.एफ. ई.एस.आई.सी. दुर्घटना बीमा आदि समस्त व्यय के साथ एकमुश्त राशि—	
4	एजेन्सी का सर्विस चार्ज		
5	शासन द्वारा लागू जीएसटी		
6	महायोग		

अभिवचन :-

- (1) मेन्टेनेंस हेतु विद्युत सामग्रियां, सेनेटरी सामग्रियां आवश्यकतानुसार छत्तीसगढ़ राज्य सूचना कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। मेन्टेनेंस का कार्य एजेंसी को करना है।
- (2) सफाई सामग्री पर होने वाला व्यय निविदाकार द्वारा वहन किया जावेगा।
- (3) सफाई कर्मचारियों, सिक्युरिटी गार्ड एवं एजेंसी के अन्य कर्मचारियों को एजेंसी की ओर से वर्दी उपलब्ध करायी जायेगी।
- (4) आयोग से संबंधित सफाई कर्मचारियों सिक्युरिटी गार्ड एवं एजेंसी के अन्य कर्मचारियों की अनुपस्थिति में उनके स्थान पर अन्य कर्मचारी की ड्यूटी एजेंसी की ओर से लगायी जायेगी।
- (5) अटल नगर सेक्टर 19 में निर्मित राज्य सूचना आयोग भवन परिसर, संलग्न अनुसूची-1 अनुसार, भूतल (1316.70 sqm), प्रथम तल (1267.45 sqm), द्वितीय तल (186 sqm), पार्किंग, टॉयलेट-बाथरूम का भौतिक अवलोकन पश्चात साफ-सफाई, विद्युत एवं प्लम्बिंग कार्य से संबंधित मेन्टेनेन्स को ध्यान में रखते हुए निविदा के नियम शर्तों का अवलोकन पश्चात उक्त दरें अंकित की जा रही है।

(निविदाकार के हस्ताक्षर)
सील मुद्रा

राज्य सूचना आयोग
नॉर्थ ब्लॉक सेक्टर-19
अटल नगर, जिला-रायपुर

छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग कार्यालय की हाउसकीपिंग (साफ-सफाई),
विद्युत एवं प्लम्बिंग कार्य से संबंधित मेन्टेनेन्स एवं सिक्युरिटी गार्ड हेतु
निविदा/भावपत्र की नियम एवं शर्तें

1. निविदाकार को किसी भी शासकीय/अर्द्धशासकीय/निगम निकाय/सार्वजनिक संस्थानों से साफ-सफाई तथा रखरखाव/सुरक्षा कार्य व्यवस्था का एक वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अनुभव प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति मूल निविदा आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।
2. निविदाकार को निविदापत्र/भावपत्र आवेदन के साथ 50,000/- (रुपये पचास हजार मात्र) धरोहर राशि (Earnest Money), राज्य सूचना आयोग रायपुर के नाम से देय रेखांकित बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक जमा करना होगा। बिना धरोहर राशि (Earnest Money), के निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। उक्त राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा तथा अनुबंध समाप्ति पर उक्त राशि (आवश्यक कटौती के उपरांत) वापिसी योग्य होगी।
3. छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग परिसर की सम्पूर्ण सफाई के अंतर्गत संलग्न अनुसूची-1 अनुसार, भूतल (1316.70 sqm), प्रथम तल (1267.45. sqm), द्वितीय तल (186. sqm) पार्किंग, टॉयलेट-बाथरूम, समस्त कमरों, हाल बरामदा, टायलेट, बाथरूम, वाशबेसिन, मूत्रालय, दरवाजे, खिड़कियां, वेन्टीलेटर, ग्रील्स, पार्टीशन सीलिंग, फर्नीचर, आलमारियां, रैक, पंखे सहित अन्य उपकरण, कार्यालय के चारों ओर का बाहरी क्षेत्र सहित भविष्य में कार्यालय भवन में शामिल होने वाले अन्य भवन क्षेत्र भी शामिल माना जायेगा।
4. कंण्डिका (3) में दर्शित सफाई कार्य के अंतर्गत झाड़ू, पोछा, धुलाई, डस्टिंग, जाला, दाग धब्बों की सफाई, ग्लास की सफाई, पंखे, कुर्सी-टेबल एवं अन्य आवश्यक साफ-सफाई इत्यादि करना होगा। सफाई में उपयोग होने वाले समग्री उच्च क्वालिटी के ब्राण्डेड सामग्री का इस्तेमाल किया जाना होगा एवं चयनित संस्था को सम्पूर्ण साफ-सफाई सुनिश्चित करना होगा।
5. समस्त सफाई कर्मियों पुरुष को गहरे नीले रंग की फुल पैंट व हाफ शर्ट तथा महिला को गहरे नीले रंग की साड़ी एवं ब्लाउज/सलवार-सूट एवं खाकी रंग का एप्रिन में आना होगा। वर्दी की व्यवस्था निविदाकार द्वारा की जावेगी।

6. सभी तरह की सफाई के लिए उपकरण, दुर्गन्धनाशक, कीटनाशक, एसिड, परफ्यूम, कोलिंग, हार्पिक इत्यादि निविदाकार द्वारा स्वयं लाया जावेगा। समस्त सामग्री उच्च गुणवत्तायुक्त मानक स्तर की होनी चाहिए। सफाई से संबंधित समस्त सामग्रियों, उपकरणों की पूर्ति नियुक्त निविदाकार को स्वयं करनी होगी।
7. कार्यालय परिसर से निकलने वाले कचरें, कूड़ा करकट, मलमा इत्यादि को एन.आर.डी.ए. द्वारा निर्धारित क्षेत्र/कन्टेनर में प्रतिदिन परिवहन की व्यवस्था निविदाकार द्वारा स्वयं की जावेगी।
8. छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग अटल नगर रायपुर किसी भी सफाई कर्मचारी की दुर्घटना या शारीरिक क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी निविदाकार द्वारा स्वयं की जावेगी।
9. कार्यालयीन समय 10 बजे तक (सुबह 08.00 से 10 तक) सफाई का कार्य पूर्ण किया जाना होगा। तदुपरांत अपराह्न 04.00 बजे तक पुनः सफाई का कार्य सम्पादित करना होगा, इसके अलावा कार्यालयीन समय से आवश्यकतानुसार साफ-सफाई सुनिश्चित करना होगा। अवकाश के दिनों में कार्यालय की धुलाई, जाला, कचरा, मलमा इत्यादि की सफाई करना होगा। इस संबंध में कार्य आदेश के साथ अथवा बाद में विस्तृत निर्देश जारी किया जावेगा।
10. निविदाकार को छत्तीसगढ़ शासन एवं केन्द्र शासन द्वारा समस्त प्रचलित एवं समय-समय पर जारी नियमों, निर्देशों, आदेशों, और अधिनियमों का पूर्ण पालन करना होगा जिसमें प्रचलित लेबर एक्ट, कर्मचारी भविष्य निधि, आयकर अधिनियम, दुर्घटना बीमा नियम सहित अन्य संबंधित समस्त नियमों का पालन एवं उसके अनुरूप अपने कर्मचारियों को भुगतान करना होगा। कर्मचारियों के ईपीएफ, ईएसआईसी आदि के भुगतान के संबंध में कार्यालय राज्य सूचना आयोग को प्रतिमाह अवगत करायेगा।
11. सफाई के कार्य में लगाये जाने वाले समस्त कर्मचारियों के फोटो सहित नाम, वर्तमान एवं स्थाई पता, शिक्षा इत्यादि एवं चरित्र सत्यापन संबंधी प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग अटल नगर रायपुर कार्यालय में जमा करना होगा। प्राप्त प्रमाण पत्रों के आधार पर आवश्यक समझे जाने पर छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग अटल नगर रायपुर द्वारा पुलिस सत्यापन (वेरिफिकेशन) कराया जावेगा।
12. सफाई कार्य का निरीक्षण के दौरान एवं उपरांत दिये गये निर्देशों का पालन अनिवार्य होगा। उचित साफ-सफाई न होने पर अथवा किसी अधिकारी की शिकायत आने या निरीक्षण के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने की स्थिति में रु. 500/- (पांच सौ मात्र) प्रतिदिन अर्थदण्ड किया जावेगा। जिसकी कटौती भुगतान किया जाने वाले देयक में से की जावेगी।
13. प्रत्येक माह की सफाई कार्य संतोषजनक पाये जाने एवं संबंधित अधिकृत अधिकारी की अनुशंसा पर ही देयक का भुगतान किया जावेगा। आयकर की कटौती प्रचलित नियमानुसार की जावेगी।

14. निविदाकार द्वारा नियुक्त किये जाने वाले कर्मचारियों को अनुशासन में रह कर कार्य करना होगा तथा वे संपूर्ण कार्यालय की सफाई के दौरान कक्षों या बाहर रखे अभिलेखों व उपकरणों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। यदि किसी अभिलेख या उपकरण को क्षति पहुंचाना पाया गया तो हानि की वसूली ठेकेदार से की जावेगी तथा आवश्यक होने पर पुलिस कार्यवाही भी की जावेगी।
15. कार्यालय में आयोजित मीटिंग के दिन कम से कम दो सफाई कर्मचारी की कार्यालय में उपस्थिति अनिवार्य होगी।
16. सफाई निविदा स्वीकृति दिनांक से एक वर्ष अवधि के लिए होगा। इस अवधि के बाद दूसरा निविदा देने की प्रक्रिया में विलम्ब होने की स्थिति में आगामी आदेश तक निविदाकार को बढ़ाई गई अवधि तक निविदा की अनुबंध शर्तों के अनुसार कार्य करना होगा। निर्धारित अवधि को आवश्यकतानुसार कम या ज्यादा किया जा सकेगा।
17. निविदाकार अनुबंध अवधि तक कार्य नहीं छोड़ सकेगा और यदि इस बीच निविदाकार द्वारा बीच में कार्य छोड़ा गया तो नई निविदा से जो हानि छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग रायपुर को होगी उसकी क्षतिपूर्ति निविदादाता से की जायेगी।
18. निविदा स्वीकार करने या अस्वीकार करने का संपूर्ण अधिकार सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग रायपुर (छ.ग.) को होगा तथा इसके विरुद्ध किसी प्रकार की वैधानिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी और न ही कोई आपत्ति मान्य होगी।
19. निविदा स्वीकृत होने पर निविदाकार को उचित मूल्य के स्टाम्प पर राज्य सूचना आयोग रायपुर के साथ अनुबंध करना होगा।
20. निविदाकार एवं छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग रायपुर के बीच किसी तरह के विवाद की स्थिति में छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग का निर्णय अंतिम माना जावेगा।
21. उपरोक्त शर्तों के अनुसार निविदाकार का कार्य संतोषजनक न होने पर निविदा समाप्त कर धरोहर राशि राजसात की जा सकेगी।
22. निविदा हेतु एक लिफाफा टेक्निकल बिड एवं एक पृथक लिफाफा फाईनेन्शियल बिड हेतु प्रस्तुत करें। टेक्निकल बिड लिफाफा में अमानत राशि की डी.डी. निविदा प्रपत्र लागत की पावती एवं अन्य वांछित दस्तावेज भरकर लिफाफे के उपर टेक्निकल बिड लिखना होगा। फाईनेन्शियल बिड लिफाफा में निर्धारित प्रारूप में राशि भरकर प्रस्तुत करना होगा। एवं लिफाफा के उपर फाईनेन्शियल बिड लिखना अनिवार्य होगा।
23. निविदा प्रपत्र भरने के पूर्व अटल नगर सेक्टर 19 में निर्मित छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के परिसर, सभी कमरे, हॉल, ऑडिटोरियम, टायलेट एवं बाथरूम, पार्किंग स्थल एवं सम्पूर्ण कार्यालय भवन का भौतिक अवलोकन अवश्य कर ले।
24. निविदा प्रस्तुत करने का आशय यह होगा कि निविदाकार द्वारा उपरोक्त बिन्दुओं का अवलोकन किया गया है एवं उक्त सभी बिन्दु निविदाकार फर्म को मान्य है।

25. शौचालयों की सफाई में उच्च गुणवत्ता, लिक्विड सोप, फिनाईल गोलियां, ऑडोनिल फ्रेशनर, टॉयलेट पेपर रोल के प्रयोग के साथ हारपिक जैसे लिक्विड के प्रयोग से किया जाना होगा, शौचालयों की सफाई प्रति घंटे के अंतराल में करनी होगी। समस्त सामग्री का स्टॉक भी निरन्तर रखना होगा।
26. सभा कक्ष के साथ जिन कक्षों में कारपेट लगा हुआ है वहां वैक्यूम क्लीनर एवं शैम्पू से सफाई किया जाना होगा।
27. डस्टबीन तथा थूकदानों की सफाई कर, कचरा हटाकर परिसर में नियत स्थान पर ले जाकर डालना होगा।
28. महिला शौचालयों की सफाई हेतु महिला सफाई कर्मी आवश्यक रूप से रखना होगा।
29. सभी सफाई कर्मी की ड्रेस में सफाई कर्मी अंकित हो जो स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिये।
30. छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग कार्यालय के कक्ष, बरामदे, छत, आंगन, शौचालयों, रेलिंग, गलियारों, सीढ़ियों, समस्त खुले परिसर सहित की साफ-सफाई प्रतिदिन दो बार करना होगा तथा दरवाजे, खिड़कियों से धूल-जाले तथा पान-तम्बाखू के दाग भी हटाना होगा।
31. छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के माननीय मुख्य सूचना आयुक्त, राज्य सूचना आयुक्तगण, सचिव, बैठक कक्ष में लगे कारपेट की सफाई विशिष्ट उपकरण (मशीन) से की जानी होगी।


सचिव
छ0ग0 राज्य सूचना आयोग
अटल नगर, रायपुर